प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: **54 / 2025** (अपील सूचना का अधिकार)
कमलेश कुमार नागदा पिता छोगालाल पता: ग्राम देवस्थान मादडी, पोस्ट–कमोल, तहसील–सायरा, उदयपुर

..............अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 12/05/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 18.02.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर / सू.अ. / प्रथम अपील / 54 / 25 / 387–88 दिनांक 15.04.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

अपीलार्थी द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा भ्रष्ट अधिकारी के विरूद्ध की गई कार्यवाही की सूचना मुझ अपीलार्थी को आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), उदयपुर ने जरिये पत्रांक: प. / 41 / 2 / प्र.अ.स. / 54 / 25 / 395–96 दिनांक 12.05.2025 से न्यायालय को प्रत्युत्तर एवं अपीलार्थी / प्रार्थी को सूचना प्रेषित की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), उदयपुर द्वारा जरिये पत्रांक 395–96 दिनांक 12.05.2025 से सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में अब किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रह जाने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। साथ ही लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), उदयपुर को निर्देशित किया जाता है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र का नियमानुसार निश्चित समयावधि में निस्तारण करें।

निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12-05-25 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर